"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुक्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 197]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक ४ मई २०२३ — वैशाख १४, शक १९४५

परिवहन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 26 अप्रैल 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5—6/आठ—परि./2022.— छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 23 की उप—धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा ।

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालाविध के पूर्व, सिचव, परिवहन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

संशोधन प्रारूप

उक्त अधिनियम की अनुसूची में, -

द्वितीय अनुसूची के भाग – एक के सरल क्रमांक 6 के स्थान पर, निम्नलिखित सरल क्रमांक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
"6.	मालयान	
	(1) सकल यान भार 12000 किग्रा. से अनधिक के मालयान जिसकी	
	कीमत—	
	(क) रू. 2.5 लाख से अनधिक है	यान की कीमत का 12 प्रतिशत
	(ख) रू. 2.5 लाख से अधिक है	यान की कीमत का 10 प्रतिशत
	(2) सकल यान भार 12000 किग्रा. से अधिक के मालयान	यान की कीमत का 10 प्रतिशतः

परन्तु इस नियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात, उस मोटरयान पर लागू नहीं होगी, जो इस नियम के प्रवृत्त होने की तारीख से पहले पंजीकृत हो ।"

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर.पी. पाण्डेय, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 26th April 2023

NOTIFICATION

No. F 5-6/VIII-Trans./2022.- The following draft further amendment in the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991, which the State Government, in exercise of the powers conferred by Section 23 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), proposes to make, is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 23 of the said Adhiniyam, for the information of all person likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person before the specified period, in office hours in office of the Secretary, Department of Transport, Government of Chhattisgarh, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Nava Raipur Atal Nagar, District Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In Schedule of the said Adhiniyam,-

For serial number 6 of Part-I of the Second Schedule, the following serial number shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"6.	Goods Carriage (1) Goods carriage not more than 12000 Kgs. Gross Vehicle weight, the cost of which- (a) Does not exceed Rs. 2.5 Lacs (b) Exceeds Rs. 2.5 Lacs (2) Goods carriage more than 12000 Kgs. Gross	12% of the cost of the vehicle.10% of the cost of vehicle.10% of the cost of vehicle:

Provided that nothing contained in this rule shall apply to a Motor Vehicle which is registered before the date on which this rule comes into force."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, R.P. PANDAY, Deputy Secretary.